न्यायालय अति॰ जिला कलक्टर दौसा।

तारीख हुक्म	मु॰नं॰ 25/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान - कैलाश वगैरा बनाम रणजीत सिंह गोयारा वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
6-5-22	पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी से 6 न 7 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोयारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगवाये जाने के उपरांत भी अधिवक्ता प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण में से कोई भी पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अधिवक्ता के कथन पर मनन किया गया। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोयारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय का स्थानांतरण हो चुका है तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण में से कोई भी पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है इसलिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन मु॰नं॰ 202/2020 उनवान कैलाश वगैरा बनाम कमला वगैरा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थीगण कैलाश पुत्र रामकिशन वगैरा जाति माली निवासी राणोली तहसील सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर मण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 06-5-2022 को मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया। (आर. के. मीना) अति. जिला कलक्टर दौसा	Decision copy 1010 6/5/22

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official